

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 1303 / FP/UK/ROAD/143929/2021 दिनांक: देहरादून 26 नवम्बर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 9.053 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के 61वीं REC बैठक दिनांक 29-10-2021 एजेण्डा नं०-9।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित 61वीं REC बैठक दिनांक 29-10-2021, एजेण्डा नं०-9 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1277/12-1 दिनांक 25-11-2021 से प्राप्त आख्या विन्दुवार निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	The State Government is required to justify the width of the proposed road or else prepare the proposal as per the norms of IRC and submit the revised proposal accordingly.	As per IRC: SP: 48-1998, Table 6.4, and IRC: 52:1981, Table 1, The desirable road land width for major district road in normal built up area is 15 metre and in exceptional cases it is 12 metre. Therefore, this is the minimum required width of the proposed road. (Annexure-I)
2	The State Government is required to submit the administrative approval/forest approval of existing road on which widening is proposed.	Under Gazette Notification No 3767/xxv/cxc/508-64 of 22 July, 1964, Notification no. 5712XXV/cxc-514/1964 Dated 02-11-1964 and Notification no. 3454/2c/cxc-514/64 of Dated 08-07-1964 under subsection 1 of section 4 of Land Acquisition Act 1894, indicating acquisition of the land of different villages of the Nandprayag Ghat motor road. (Annexure-II) Revenue documents to prove the road was constructed before 1980. (Annexure-III)
3	The State Government is also required to submit the drawing (mentioning the width of the different parts of the road) of the project.	The drawing indicating typical cross section of different parts of the road is attached hereby. (Enclosure-IV)

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(डा० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्या / FP/UK/ROAD/143929/2021 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून